

प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 145/2026)

तत्काल प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भा.दू.वि.प्रा. ने हितधारकों के साथ परामर्श के लिए 'दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों' का मसौदा जारी किया।

नई दिल्ली, 30.10.2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा.दू.वि.प्रा.) ने आज हितधारकों के साथ परामर्श के लिए 'दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों' का मसौदा जारी किया है।

2. फरवरी 2026 में, भारत सरकार ने समावेशी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता का लाभ उठाने तथा इसके साथ ही व्यक्तियों और समाज के लिए इससे उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का समाधान करने के उद्देश्य से 'भारत एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश' जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश सात मार्गदर्शक सूत्रों या सिद्धांतों पर आधारित हैं— विश्वास ही आधार है, जन-प्रथम, प्रतिबंधों के बजाय नवाचार को प्राथमिकता, निष्पक्षता और समानता, जवाबदेही, अभिकल्पना से ही समझने योग्य तथा सुरक्षा, सुदृढ़ता और संधारणीयता। दिशानिर्देशों का भाग 4 उद्योग जगत के हितधारकों और विनियामकों को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, ताकि संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र में स्पष्टता, पूर्वानुमेयता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।

3. दूरसंचार क्षेत्र भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र आम जनता को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने, सार्वजनिक और आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के वितरण, व्यापार एवं वाणिज्य के संचालन तथा देश की महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के सुरक्षित एवं सुदृढ़ संचालन में सहायक है। यह क्षेत्र न केवल सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. वर्तमान में, दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान में एआई का एकीकरण तेजी से बढ़ रहा है। दूरसंचार क्षेत्र में भारत एआई गवर्नेंस दिशानिर्देशों का सुसंगत और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र में स्पष्टता, पूर्वानुमेयता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने हितधारकों के साथ परामर्श करने के पश्चात् दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान में एआई के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया है।

5. इस संबंध में, हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए 'दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों' का मसौदा भा.दू.वि.प्रा. की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है। मसौदा दिशानिर्देशों पर हितधारकों से 27.11.2026 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

6. टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भा.दू.वि.प्रा. को ईमेल पते advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भा.दू.वि.प्रा. से दूरभाष संख्या +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।


(हरिन्द्र कुमार)

सचिव, भा.दू.वि.प्रा.